भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2059

उत्तर देने की तारीख- 05.08.2026

अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्तियों का बकाया

2059 श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय द्वारा संचालित सभी छात्रवृत्ति योजनाओं - जिनमें अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (फ़ेलोशिप) तथा छात्रवृत्ति भी शामिल है - के अंतर्गत नामांकित विद्यार्थियों की ओर से महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं को विगत पाँच वर्षों के दौरान देय कुल लंबित राशि वर्ष-वार, योजना-वार तथा संस्था-वार कितनी कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत कितने अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति वितरण में विलंब हुआ है, तत्संबंधी राज्य-वार / संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी-कितनी है; और

(ग) चालू शैक्षणिक वर्ष में बकाया राशि का भुगतान करने तथा संस्थानों एवं लाभार्थियों को समयबद्ध व नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय का छात्रवृत्ति प्रभाग, अजजा आबादी के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

(i) अजजा छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा 11 और उससे ऊपर)

(ii) अजजा छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (शीर्ष श्रेणी)

(iii) अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एनएफएसटी)

(iv) अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति

ऊपर क्रम संख्या (i)में उल्लिखित छात्रवृत्ति योजना केंद्रीय प्रायोजित योजना है और देश के संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना एक ओपन-एंडेड योजना है जिसमें 11वीं कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तक के अध्ययन के लिए सभी पात्र छात्रों को चयन की संख्या की कोई अधिकतम सीमा के बिना छात्रवृत्ति दी जाती है|

जिनकी पैतृक आय 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है। आवेदन आमंत्रित करना, सत्यापन, लाभार्थियों का चयन और छात्रवृत्ति राशि का वितरण संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों और ज़रूरी दस्तावेज़ों व नियमों के पालन की जाँच के बाद, जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधि का केंद्रीय हिस्सा जारी करता है। इसके बाद, संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन सभी पात्र अजजा छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि डीबीटी मोड के ज़रिए उनके बैंक खातों में भेजते हैं। चूँकि ये योजनाएँ संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, इसलिए कॉलेजों/विश्वविद्यालयों को दिए जाने वाले बकाया भुगतान की जानकारी इस मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

क्रम संख्या (ii) में उल्लिखित अजजा छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (शीर्ष श्रेणी) एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसे सीधे जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत, प्रबंधन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, कानून आदि जैसे पेशेवर क्षेत्रों में चुने गए 265 टॉप-क्लास (शीर्ष श्रेणी) सरकारी और

गैर-सरकारी संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। वे सभी अजजा छात्र, जिनके माता-पिता की सालाना आय 6.0 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं है और जो मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 265 संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं, वे छात्रवृत्ति पाने के पात्र हैं। इस योजना के तहत छात्रों और कॉलेजों/विश्वविद्यालयों के बकाया भुगतान का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

ऊपर क्रम संख्या (iii) में उल्लिखित अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एनएफएसटी) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे सीधे जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे जनजातीय कार्य मंत्रालय पूरी तरह से वित्तपोषित करता है, इसका मकसद मेधावी अजजा छात्रों को उनकी मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद एम.फिल./पी.एच.डी. करने के लिए अध्येतावृत्ति प्रदान करना है। इस योजना के तहत हर साल 750 नई अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। संबंधित विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा मंज़ूर/जमा किए गए प्रमाण-पत्र जैसे निरंतरता प्रमाण-पत्र, मकान किराया भत्ता (एचआरए) और आकास्मिक दावों की ठीक से जांच और मंज़ूरी के बाद, अजजा छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से अध्येतावृत्ति की राशि जारी की जाती है। अभी, एनएफएसटी के तहत अध्येतावृत्ति की राशि जारी करने के लिए विश्वविद्यालयों/संस्थानों की तरफ से इस मंत्रालय को भेजा गया कोई भी दावा लंबित नहीं है।

अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस), जिसका उल्लेख क्रम संख्या (iv) में किया गया है, विदेश मंत्रालय (एमईए) के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। छात्रवृत्ति की रकम भारतीय दूतावासों के माध्यम से अजजा छात्रों/संस्थानों को जारी की जाती है। इसके अलावा, चुने गए अजजा छात्रों/संस्थानों को दूतावासों द्वारा किए गए भुगतान के संबंध में एमईए द्वारा जमा किए गए वाउचर/बिल के आधार पर, जनजातीय कार्य मंत्रालय एमईए को निधि की प्रतिपूर्ति करता है। फ़िलहाल, अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस) के तहत नामांकित छात्रों की ओर से कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च-शिक्षा संस्थानों को कोई बकाया राशि देय नहीं है।

(ग) मंत्रालय बकाया भुगतान की स्थिति पर लगातार नज़र रख रहा है और ज़रूरी पीएफएमएस नियमों का पालन पूरा करने के लिए संबंधित संस्थानों के साथ इस मामले को उठा रहा है, ताकि संबंधित संस्थानों और लाभार्थियों को मिलने वाले भुगतान जल्द से जल्द जारी किए जा सकें।

मंत्रालय राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के ज़रिए मिले आवेदनों की समय पर जांच और प्रोसेसिंग (कार्यवाही) भी कर रहा है, जिसमें संस्थान-स्तर और मंत्रालय-स्तर पर जांच शामिल है और साथ ही, आवेदनों में पाई गई कमियों और विसंगतियों को जल्द दूर करने के लिए ज़रूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं।

अनुलग्नक-I

अजजा छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (शीर्ष श्रेणी) के तहत, दिए गए ब्यौरे के अनुसार, चयनित अजजा छात्रों को दो घटकों के तहत छात्रवृत्ति राशि जारी की जाती है:

घटक- I: प्रति वर्ष @ ₹36,000 का वजीफा, प्रति वर्ष @ ₹5,000 किताबों और स्टेशनरी के लिए, और पाठ्यक्रम के दौरान एक बार @ ₹45,000 का लैपटॉप भत्ता दिया जाएगा। इस मद के तहत मिलने वाली राशि सीधे चुने गए अजजा छात्रों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है।

घटक- II: सरकारी संस्थानों के लिए ट्यूशन शुल्क और प्रवेश शुल्क वास्तविक व्यय के आधार पर होगी। निजी संस्थानों के लिए वार्षिक 2.5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तय है। इस मद के तहत राशि पीएफएमएस के माध्यम से संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान को जारी की जाती है।

अजजा छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (शीर्ष श्रेणी) के तहत घटक-वार लंबित मामलों का विवरण नीचे दिया गया है: -

क. घटक I - छात्रों के लिए रहने/विविध खर्चों के बकाया भुगतान

'अजजा छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (टॉप क्लास)' योजना का संचालन केंद्रीय स्तर पर किया जाता है और इसमें राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के आधार पर बजट या स्लॉट तय करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, भुगतान में देरी के मामलों की निगरानी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के आधार पर अलग-अलग नहीं, बल्कि केंद्रीय स्तर पर की जाती है। तद्नुसार, पिछले पांच वर्षों यानी शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के दौरान जिन अजजा छात्रों की छात्रवृत्ति के भुगतान में देरी हुई, उनकी कुल संख्या निम्नानुसार है:-

छात्रों को बकाया देय राशि			
क्र.सं.	**शैक्षणिक वर्ष**	**छात्रों की संख्या**	**भुगतान असफल/विलंब का कारण**
1	2021-22	नया - शून्य; नवीनीकरण - शून्य	शून्य
2	2022-23	नया - 3; नवीनीकरण - 1	लाभार्थियों के आधार सीडिंग और बैंक खाता लिंक करने से जुड़ी समस्याएं।
3	2023-24	नया - 5; नवीनीकरण - 10	लाभार्थियों के आधार सीडिंग और बैंक खाता लिंक करने से जुड़ी समस्याएं।
4	2024-25	नया - 17; नवीनीकरण - 11	लाभार्थियों के आधार सीडिंग और बैंक खाता लिंक करने से जुड़ी समस्याएं।
5	2025-26	नए और नवीनीकरण के लिए आवेदन	प्रक्रियाधीन

ख. घटक II - कॉलेजों/विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थानों को बकाया देय राशि

पिछले पांच वर्षों के दौरान अजजा छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (शीर्ष श्रेणी योजना) के तहत कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को देय बकाया राशि का विवरण इस प्रकार है: -

शैक्षणिक वर्ष 2021-22: शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को कोई भी बकाया राशि देय नहीं है। योजना के दिशानिर्देशों के तहत ज़रूरी शर्तों और नियमों को पूरा करने पर सभी पात्र संस्थानों को भुगतान कर दिया गया है।

शैक्षणिक वर्ष 2022-23: शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को

कोई भी बकाया राशि देय नहीं है। योजना के दिशानिर्देशों के तहत ज़रूरी शर्तों और नियमों को पूरा करने पर सभी पात्र संस्थानों को भुगतान कर दिया गया है।

शैक्षणिक वर्ष 2023-24: उन पात्र संस्थानों को भुगतान जारी कर दिया गया है जिन्होंने योजना के दिशानिर्देशों के तहत ज़रूरी शर्तों को पूरा किया और निर्धारित पीएफएमएस/ईएटी अनुपालन पूरे किए। हालाँकि, नीचे दिए गए संस्थानों का भुगतान अभी बाकी है क्योंकि उन्होंने ज़रूरी अनुपालन पूरे नहीं किए हैं; इनमें पीएफएमएस पोर्टल पर दिख रहे बिना व्यय हुए शेष का भुगतान (क्लीयरेंस) या अद्यतन करना भी शामिल है:

संस्थानों को बकाया देय राशि			
वर्ग	**कॉलेज / विश्वविद्यालयों / उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या**	**नामांकित छात्रों की संख्या**	**संस्थानों को देय बकाया ट्यूशन/प्रवेश शुल्क (रूपये में)**
नया	3	10	15,93,073
नवीनीकरण	2	6	92,000

शैक्षणिक वर्ष 2024-25: उन पात्र संस्थानों के लिए भुगतान की प्रक्रिया चल रही है जिन्होंने योजना के दिशा-निर्देशों के तहत ज़रूरी शर्तों को पूरा कर लिया है और निर्धारित पीएफएमएस/ईएटी अनुपालन पूरे कर लिए हैं। हालाँकि, नीचे दिए गए संस्थानों के लिए भुगतान रुका हुआ है क्योंकि उन्होंने ज़रूरी अनुपालन पूरे नहीं किए हैं, जिसमें पीएफएमएस पोर्टल पर दिख रहे बिना व्यय हुए शेष का भुगतान (क्लीयरेंस) या अद्यतन करना भी शामिल है:

संस्थानों को बकाया देय राशि			
वर्ग	**कॉलेज / विश्वविद्यालयों / उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या**	**नामांकित छात्रों की संख्या**	**संस्थानों को देय बकाया ट्यूशन/प्रवेश शुल्क (रूपये में)**
नया	87	1439	15,99,60,583
नवीनीकरण	57	1088	4,22,53,452

शैक्षणिक वर्ष 2025-26: इस योजना के तहत, संभावित रूप से अयोग्य या अनियमित आवेदनों की पहचान करने के लिए आमंत्रित आवेदनों की 'रेड-फ्लैग' और 'सैनिटी-चेक' प्रक्रियाओं के ज़रिए जांच की जाती है। यह प्रक्रिया हाल ही में पूरी हुई है और तद्नुसार अंतिम मेरिट/चयन सूची जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है। मंत्रालय ने अब पात्र लाभार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
